राजस्थान सरकार
नगरीय विकास विभाग

क्रमांक प.4(1)नविवि/II/2005 जयपुर दिनांकः 29 MAY 2014

परिपत्र

प्रायः यह देखा जा रहा है कि जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यासों में बिना नगरीय विकास विभाग की अनुमति के सीधे ही कर्मचारियों/अधिकारियों को प्रतिनियुक्ति पर लगा दिया जाता है, तथा प्राधिकरण/निकायों/बोर्ड द्वारा ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को ज्वाईन भी करा लिया जाता है, जो उचित नहीं है। अतः इस संबंध में यह स्पष्ट निर्देशित किया जाता है कि यदि किन्हीं विभागों द्वारा सीधे ही जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यासों में बिना नगरीय विकास विभाग की अनुमति के सीधे ही प्रतिनियुक्ति पर अधिकारियों/कर्मचारियों को पदस्थापित किया जाता है, तो ऐसे अधिकारियों/कर्मचारियों को ज्वाईन नहीं कराया जावे। इसकी अवहेलना पाई जाने पर संबंधित आयुक्त/सचिव के विरूद्ध नियमानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

(डी.बी.गुप्ता)
प्रमुख शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदया, (प्रभारी मंत्री नगरीय विकास एवं आवासन विभाग) राजस्थान, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
3. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव, राजस्थान, जयपुर।
4. आयुक्त, जयपुर/जोधपुर/अजमेर विकास प्राधिकरण।
5. आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर।
6. सचिव, जयपुर/जोधपुर/अजमेर, विकास प्राधिकरण को प्रेषित कर लेख है कि बिना इस विभाग की अनुमति के प्रतिनियुक्ति पर ज्वाईन कराये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची 3 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावे।
7. सचिव, नगर विकास न्यास ..... (समस्त) को प्रेषित कर लेख है कि बिना इस विभाग की अनुमति के प्रतिनियुक्ति पर ज्वाईन कराये गये अधिकारियों/कर्मचारियों की सूची 3 दिवस में आवश्यक रूप से भिजवाना सुनिश्चित करावे।
8. समस्त विभागाध्यक्ष, राजस्थान, जयपुर को प्रेषित कर लेख है कि कृपया बिना इस विभाग की सक्षम स्वीकृति के किसी भी अधिकारी/कर्मचारी को जयपुर विकास प्राधिकरण/जोधपुर विकास प्राधिकरण/अजमेर विकास प्राधिकरण/राजस्थान आवासन मण्डल/नगर विकास न्यासों में प्रतिनियुक्ति पर सीधे ही पदस्थापन नहीं करावे, अन्यथा उन्हें जाईन कराया जाना संभव नहीं होगा।
9. रक्षित पत्रावली।

28/5/14
संयुक्त शासन सचिव–तृतीय

Rajawat order